



बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक— 8 बजट (1) 17/2025.....<sup>164/2025</sup>आ०

दिनांक— <sup>24/02</sup>...../2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०

निदेशक, पशुपालन, बिहार।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय, डुमराँव, बक्सर/सहायक निदेशक, सूचना-प्रसार, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार एवं सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0101 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना विपत्रकोड 02-2403001010101 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु ₹ 7,48,400/- (सात लाख अड़तालीस हजार चार सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 1981 दिनांक 07.05.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 117 (नि०) आ० दिनांक 02.01.2026 के क्रम में संलग्न विवरणी- I के अनुसार ₹ 7,48,400/- (सात लाख अड़तालीस हजार चार सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0101 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना विपत्रकोड 02-2403001010101 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के तहत संविदा पर एम्बुलेट्री भान के चालक एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान, गैर योजनात्मक योजना के तहत चालित पशु चिकित्सालयों/एम्बुलेट्री वैन का सुदृढीकरण/संचालन एवं Vet एवं Para Vet के प्रशिक्षण, कान्फ्रेंस, कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन की योजना के लिए दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि०, दिनांक 28.03.2025, 235/वि० दिनांक 01.04.2025 एवं पत्रांक 950/वि० दिनांक 12.12.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढतापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 17/2025..... आ०/

पटना-15, दिनांक...../...../2026

**प्रतिलिपि** - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी0ए0-57-96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- सभी कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

विवरण- I

विभागीय राज्यादेश संख्या 1981 दिनांक-07.05.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, राज्य स्कीम 101 पशु-चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु-स्वास्थ्य, 0101 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2403001010101 (संविदा के आधार पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं एम्बुलेट्री मान के चालक के मानदेय भुगतान) के अन्तर्गत आवंटन की विवरणी :-

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	28.02-संविदा सेवाएँ								
		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर			एम्बुलेट्री मान के चालक			कुल योग		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना	71,39,100	0	71,39,100	0	0	0	71,39,100	0	71,39,100
2	निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	10,45,400	0	10,45,400	12,42,100	0	12,42,100	22,87,500	0	22,87,500
3	मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय, डुमराँव, बक्सर	0	0	0	2,79,200	0	2,79,200	2,79,200	0	2,79,200
4	सहायक निदेशक, सूचना-प्रसार, बिहार, पटना	5,22,800	42,200	5,65,000	0	0	0	5,22,800	42,200	5,65,000
5	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पटना	4,78,200	35,000	5,13,200	2,90,400	40,000	3,30,400	7,68,600	75,000	8,43,600
6	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, गया	5,22,800	0	5,22,800	3,07,100	0	3,07,100	8,29,900	0	8,29,900
7	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, छपरा	0	0	0	3,12,500	0	3,12,500	3,12,500	0	3,12,500
8	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मुजफ्फरपुर	5,22,800	85,600	6,08,400	5,58,300	0	5,58,300	10,81,100	85,600	11,66,700
9	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दरभंगा	5,71,700	50,000	6,21,700	7,14,600	0	7,14,600	12,86,300	50,000	13,36,300
10	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सहरसा	5,22,800	49,200	5,72,000	5,58,300	61,700	6,20,000	10,81,100	1,10,900	11,92,000
11	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन पूर्णिया	5,22,800	39,200	5,62,000	5,58,300	41,700	6,00,000	10,81,100	80,900	11,62,000
12	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर	5,22,800	85,000	6,07,800	7,92,600	0	7,92,600	13,15,400	85,000	14,00,400
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	1,06,39,800	0	1,06,39,800	8,37,400	0	8,37,400	1,14,77,200	0	1,14,77,200
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा	1,02,56,300	0	1,02,56,300	3,07,100	0	3,07,100	1,05,63,400	0	1,05,63,400
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर	76,85,000	0	76,85,000	3,85,200	0	3,85,200	80,70,200	0	80,70,200
16	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर	56,49,400	0	56,49,400	2,79,200	0	2,79,200	59,28,600	0	59,28,600
17	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास	1,02,00,100	0	1,02,00,100	2,79,200	0	2,79,200	1,04,79,300	0	1,04,79,300
18	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमुर	54,15,800	0	54,15,800	3,35,000	0	3,35,000	57,50,800	0	57,50,800
19	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	1,02,21,900	0	1,02,21,900	3,07,100	0	3,07,100	1,05,29,000	0	1,05,29,000
20	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद	42,39,900	0	42,39,900	3,35,000	0	3,35,000	45,74,900	0	45,74,900

164/10/2026  
24/02/2026

20



क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर			एम्बुलेट्री भान के चालक			कुल योग		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
46	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया	39,04,300	0	39,04,300	2,79,200	0	2,79,200	41,83,500	0	<b>41,83,500</b>
47	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	71,88,700	0	71,88,700	2,79,200	0	2,79,200	74,67,900	0	<b>74,67,900</b>
48	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	74,46,500	0	74,46,500	2,79,200	0	2,79,200	77,25,700	0	<b>77,25,700</b>
49	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	34,52,800	0	34,52,800	3,35,000	0	3,35,000	37,87,800	0	<b>37,87,800</b>
50	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	48,93,100	0	48,93,100	3,35,000	0	3,35,000	52,28,100	0	<b>52,28,100</b>
<b>योग :-</b>		<b>27,15,26,600</b>	<b>5,15,000</b>	<b>27,20,41,600</b>	<b>1,85,89,600</b>	<b>2,33,400</b>	<b>1,88,23,000</b>	<b>29,01,16,200</b>	<b>7,48,400</b>	<b>29,08,64,600</b>

(सात लाख अड़तालीस हजार चार सौ मात्र)

164 (नव) श/10  
24/02/2026 -

निदेशक, पशुपालन।